राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

आबकारी अपील संख्या -- 570/2015/अजमेर

योगेन्द्र सिसोदिया पुत्र श्री राकेश कुमार साहू,
जाति–तेली,निवासी–नेहरू गेट के बाहर,
विठ्ठल बस्ती, ब्यावर जिला अजमेर .....अपीलार्थी

बनाम

1.आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर
2.जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर .....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री बी.के.मीणा, अध्यक्ष
श्री ईश्वरी लाल वर्मा,सदस्य

उपस्थित : :

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 06/08/2015

निर्णय

यह अपील राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9(ख) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, उदयपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक प.38(ए)(30)पी/हो.आब./2014 में दिनांक 31.03.2015 को पारित किये गये आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी श्री योगेन्द्र सिसोदिया द्वारा जोधपुर–उदयपुर बाईपास, गणेशपुरा, ब्यावर स्थित अपने स्वामित्व के ईलाईट रेस्टोरेन्ट के लिये, वर्ष 2014–15 हेतु बार अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिये आबकारी निरीक्षक, वृत ब्यावर के समक्ष अनुज्ञापत्र आवेदन दिनांक 05.06.2014 को प्रस्तुत किया गया। आबकारी निरीक्षक द्वारा रेस्टोरेन्स का मौका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.06.2004 को ही जिला आबकारी अधिकारी को पेश की गयी। इसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा जिला आबकारी कार्यालय में दिनांक 12.06.2014 को उपस्थित होकर, एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें अपीलार्थी द्वारा यह अंकित किया गया कि उसके रेस्टोरेन्ट में रंग रोगन व रेनोवेशन का कार्य चल रहा है तथा प्रस्तुत आवेदन को कुछ समय तक स्थगित रखा जाये। इसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.07.2014 को जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कार्य पूर्ण होने संबंधी सूचना दी व आवेदन पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 05.08.2014 को प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट का भौतिक निरीक्षण व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दस्तावेजों में भूमि संपरिवर्तन आदेश व भवन निर्माण नक्शा सक्षम अधिकारी द्वारा पारित नहीं होने संबंधी कमियॉ

6-8-2015 -261-

लगातार.....2

पाई गयी। इन कमियों के संबंध में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को कमियाँ पूर्ण करने हेतु पत्र दिनांक 12.08.2014 जारी किया गया तथा दूरभाष पर संपर्क किया जाकर आक्षेप पूर्ति हेतु कहा गया। अपीलार्थी द्वारा समक्ष अधिकारी द्वारा मांगे गये दस्तावेजों की पूर्ति नहीं की गई तथा दिनांक 16.02.2015 को जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा कमी पूर्ति पूर्ण करने में विलम्ब हो रहा है, अतः उसके द्वारा जमा करायी गई राशि रिफण्ड करने की प्रार्थना की गई। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 16.02.2015 पर अग्रिम कार्यवाही हेतु आबकारी आयुक्त से मार्गदर्शन चाहा। आबकारी आयुक्त द्वारा अपने निर्णय में यह लिखते हुए कि जिला आबकारी अधिकारी अजमेर द्वारा बार–बार स्मरण पत्र लिखे जाने के बावजूद भी उक्त आक्षेपों की पूर्ति अपीलार्थी द्वारा नहीं की गई। अतः अपीलार्थी द्वारा रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापत्र बाबत जमा कराई गई अनुज्ञापत्र फीस जब्तराज करने करने का आदेश जारी किया गया। आबकारी आयुक्त, उदयपुर के इस आदेश दिनांक 31.03.2015 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी ने राजस्थान आबकारी (रेस्तंरा बार लाईसेंस) नियम 2004 के प्रारूप –क नियम 3 (1)) के अर्न्तगत रेस्टोरेंट बार लाइसेंस हेतु वर्ष 2014–15 हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। आबकारी निरीक्षक ब्यावर द्वारा रेस्टोरेट का मौके का निरीक्षण कर, जांच की तथ्यात्मक रिर्पोट जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर को प्रेषित की। उनका कथन है कि आबकारी निरीक्षक, ब्यावर की तथ्यात्मक रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की कमी अथवा आक्षेप नहीं दर्शाया गया है। इसके बाद जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के रेस्टोरेन्ट का भौतिक सत्यापन करते हुए भूमि सम्परिवर्तन आदेश व भवन निर्माण नक्शा सक्षम अधिकारी द्वारा पारित नहीं होने सम्बन्धित कमियां पाई जाने पर आक्षेप पत्र दिनांक 12.8.2014 को अपीलार्थी को जारी किया गया। अपीलार्थी के अभिभाषक ने यह भी तर्क किया कि उक्त आक्षेपों की पूर्ति में लग रहे समय के कारण जमा कराई गई राशि को वापस लौटाने का निवेदन किया। आबकारी आयुक्त, उदयपुर ने बिना कारण बताये आवेदन को अस्वीकार कर दिया तथा अपीलार्थी द्वारा जमा कराई गई राशि को जब्त राज करने का आदेश पारित कर दिया गया जो विधिविरूद्व है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि राजस्थान आबकारी (रेस्तरां बार लाईसेंस देना नियम 2004 के नियम संख्या 4) में न्यूनतम लाईसेंस फीस जमा कराना लाईसेंस प्रदान करना शीर्षक में स्पष्ट उल्लेखित है कि जैसे ही आवेदन उसे लाईसेंस की स्वीकृति प्राप्त करता है वह 15 दिनों के भीतर खजाने में राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 69(1) के अन्तर्गत विहित न्यूनतम लाईसेंस फीस जमा करेंगा। इस प्रकरण में

6.8.2015 ·382

लगातार...............3

आबकारी विभाग द्वारा 27.5.2014 को अनुज्ञा पत्र बाबत समस्त फीस जमा करवा ली गई। फीस जमा कराये जाने के 7 माह बाद भी अपीलार्थी को बार लाईसेंस नहीं दिया गया अपितु आबकारी आयुक्त द्वारा राजस्थान आबकारी (होटल बार / कल्ब द्वारा अनुज्ञप्तियां प्रदान करना) नियम, 1973

के तहत आदेश दिनांक 31.03.2015 के द्वारा आवेदन को निरस्त कर दिया। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी ने राजस्थान आबकारी (रेस्तंरा बार लाईसेंस) नियम 2004 के तहत बार हेतु आवेदन किया था तथा आबकारी आयुक्त द्वारा राजस्थान आबकारी (होटल बार / कल्ब द्वारा अनुज्ञप्तियां प्रदान करना) नियम, 1973 के तहत आवेदन राशि जब्त कर ली गयी। विद्वान अधिवक्ता ने आबकारी आयुक्त, उदयपुर के आदेश को निरस्त कर, अपील स्वीकार करने एवं प्रार्थी द्वारा जमा कराई गई राशि को 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने की कार्यवाही हेतु निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सिविल पिटीशन नं0 1380 / 2015 रोहित तेतरवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य निर्णय दिनांक 16.3.2015** का हवाला पेश किया गया।

प्रत्यर्थी विभाग के उपराजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2014–15 के लिये दिनांक 05.06.2014 को बार लांइसेस हेतु आवेदन किया गया था, इसके पश्चात होटल में रिनोवेशन का कार्य चलने से आगे की कार्यवाही को कुछ दिनों तक स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया। रिनोवेशन कार्य पूर्ण होने पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा होटल का भौतिक सत्यापन किया गया तथा लाईसेंस के लिये आवश्यक दस्तावेजों में कमी पाई जाने पर, अपीलार्थी को कमी–पूर्ति हेतु पत्र लिखा व दूरभाष पर भी सूचित किया गया। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा आक्षेपों की पूर्ति फरवरी 2015 तक नहीं की गई तथा इसके उपरान्त 16.02.2015 को पत्र लिखते हुए बार लाईसेंस फीस लोटाने का निवेदन किया गया। विभागीय पैराकार का कथन है कि आबकारी आयुक्त द्वारा आबकारी नियम 1973 के नियम 7 के अन्तर्गत वांछित योग्यता नहीं होने के कारण बार लाईसेंस का आवेदन पत्र निरस्त करते हुए जमा राशि को जब्त कर लिया गया। आबकारी आयुक्त का यह आदेश विधि के अनुकुल व तथ्यों पर आधारित है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया कि आबाकारी आयुक्त के यह आदेश विधिक होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा राजस्थान आबकारी (रेस्तंरा बार लाईसेंस नियम

6-8-2015 -392

2004 के प्रारूप –क नियम 3 (1)) के अर्न्तगत रेस्टोरेंट बार लाइसेंस हेतु आवेदन किया। आबकारी आयुक्त द्वारा राजस्थान आबकारी (होटल बार/कल्ब द्वारा अनुज्ञप्तियां प्रदान करना) नियम, 1973 के उल्लेखित वांछित योग्यता पूरी न हो पाने के कारण अपीलार्थी की लाईसेंस फीस व अन्य राशि जब्त करने का आदेश पारित किया गया।

प्रकरण में यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी द्वारा आबकारी अधिकारी के समक्ष अधिनियम, 1950 के आबकारी (रेस्तंरा बार लाईसेंस देना) नियम 2004 के तहत रेस्टोरेन्ट बार हेतु आवेदन किया गया था।

अतः सर्वप्रथम आबकारी (रेस्तंरा बार लाईसेंस नियम 2004 के प्रारूप –क नियम 3 (1)) अवलोकन करना समिचीन होगा। यह इस प्रकार है कि :–

3. लाईसेंस प्रदान करने हेतु पात्रता एवं प्रकिया – (1) केवल ऐसे रेस्टोरेन्ट जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हों तथा जो उप–नियम (6) के उल्लेखित कोई रिर्हता नहीं रखते हो प्ररूप 'क' में रेस्टोरेन्ट बार लाईसेंस हेतु आवेदन करने के पात्र होगे।

2)

3)

4)

5)

6) लाईसेंस हेतु कोई आवेदन निम्नलिखित कारणों हेतु अस्वीकृत किये जाने हेतु दायी होगा।

(क) यदि इस पर उपयुक्त हस्ताक्षरः नहीं किये गये है या अपूर्ण है।

(ख) यदि आवेदन राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 स्वापक, औषधि और मनः प्रभावी पर्दार्थ अधिनियम, 1985 या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत अपराध के लिये दोषसिद्व या दण्डित किया गया हो।

(ग) यदि आवेदक किसी गैर जमानती अपराध के लिये दोषसिद्व किया गया पाया जाता है।

(घ) यदि उसके विरूद्व आबकारी देय के बकाया विद्यमान है।

(ड) यदि आवेदक 18 वर्ष की आयु से नीचे है।

चुंकि अपीलार्थी द्वारा आबकारी अधिकारी के समक्ष अधिनियम, 1950 के आबकारी (रेस्तंरा बार लाईसेंस देना) नियम 2004 के तहत लाईसेंस लेने हेतु आवेदन किया गया था। अतः अपीलार्थी पर उक्त नियम लागू माना जायेगा। उक्त अधिनियम के नियम 3 में लाईसेंस प्रदान करने हेतु पात्रता तथा प्रकिया को बताया गया है तथा उपनियम 6 में अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख किया गया है। आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी का आवेदन निरस्त करने का ऐसा कोई कारण नहीं है जो उपनियम–6 में अंकित कारणों में से हो, जिससे उसका आवेदन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता हो।

आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश में अपीलार्थी का आवेदन निरस्त करने का कोई विधिक एवं युक्तियुक्त कारण उल्लेखित नहीं है तो अपीलार्थी द्वारा लाईसेंस से साथ जमा कराई गई राशि का प्रतिदाय देय होगा। आबकारी (रेस्तंरा

6.8.2015 .362

लगातार.....5

बार लाईसेंस देना) नियम 2004 के नियम 7 मे लाईसेंस स्वीकृत नहीं किये जाने हेतु प्रारम्भिक फीस का प्रतिदाय के संबंध में उल्लेख किया गया है। अतः नियम 7 का भी अवलोकन करना समिचीन होगा :—

नियम 7 :— लाईसेंस स्वीकृत नहीं किये जाने हेतु प्रारम्भिक फीस का प्रतिदाय :— यदि लाईसेंस हेतु कोई आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाता है और आवेदक की ओर से कोई दोष नहीं होने पर अस्वीकृत कर दिया जाता है तो आवेदक, उसके द्वारा अदा की गई प्रारम्भिक फीस के प्रतिदाय हेतु हकदार होगा। आदेशिका राशि हांलाकि प्रतिदाय नहीं की जायेगी।

उपर्युक्त विवेचनानुसार आबकारी (रेस्तंरा बार लाईसेंस देना) नियम 2004, नियम 3 के उपनियम 6 में उल्लेखित आवेदन निरस्त करने के कारणों के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से यदि आवेदन निरस्त होता है तो ऐसी परिस्थितयों में आबकारी (रेस्तंरा बार लाईसेंस देना) नियम 2004 के नियम 7 के अनुसार प्रतिदाय देय होगा।

यह पीठ आबकारी आयुक्त के निर्णय दिनाक 31.03.2015 को अपास्त करते हुए यह निर्देश देती है कि आबकारी (रेस्तंरा बार लाईसेंस देना) नियम 2004, के नियम 7 के अर्न्तगत प्रतिदाय की कार्यवाही की जावे।

निर्णय सुनाया गया।

6.8.2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

(बी.के. मीणा)
अध्यक्ष